भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2505

(03 अगस्त, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ओड़िशा में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत अनियमितताओं की शिकायतें

2505. श्री सुरेश पुजारी:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को ओड़िशा में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यान्वयन में बड़े स्तर पर अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा सच का पता लगाने के लिए की गई जांच का ब्यौरा क्या है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रिपोर्ट और इस संबंध में की गई अनुवर्ती कार्रवाई और निष्कर्ष का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार सभी त्रुटियों और अनियमितताओं का पता लगाने के लिए इनकी व्यापक जांच करने, इनमें सुधार करने और यह सुनिश्चित करने कि ओड़िशा में सरकार की गरीब हितैषी महत्वकांक्षी योजना के कार्यान्वयन में बाधा न आए, की जिम्मेदारी लेगी; और
(घ) सरकार द्वारा जानबूझकर की गई अधिनियमितताओं के मामले में दोषी अधिकारियों के विरूद्ध सरकार द्वारा की गई या की जाने वाली आपराधिक कार्यवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): जी, हां। ओडिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन में कतिपय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए 9 माननीय संसद सदस्यों से एक संयुक्त अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। इसमें दर्शाई गई प्रमुख अनियमितताएं निम्नानुसार थीं:

i. ओडिशा में 12.85 लाख पीएमएवाई-जी लाभार्थियों में से 85 प्रतिशत लाभार्थी स्कीम के तहत पात्र नहीं हैं और निधियों के अधिकांश भाग का व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग किया गया है।

ii. इस योजना के तहत एक ही परिवार के कई सदस्यों को आवास प्रदान किए गए हैं और ऐसे परिवार जिनके आवेदन वर्ष 2018-19 में अस्वीकार कर दिए गए थे, उन्हें वर्ष 2019-20 में आवास आवंटित किए गए हैं।

iii. जमीनी स्तर पर केंद्रीय योजना 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' के रूप में इस योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

iv. केंद्र सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान पीएमएवाई-जी के तहत कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया है।

v. केंद्र सरकार ने 'फनी' चक्रवात के कारण क्षतिग्रस्त 3.89 लाख आवासों के लिए पीएमएवाई-जी के तहत सहायता स्वीकृत की थी और इस श्रेणी के तहत लाभार्थियों के चयन में भारी अनियमितताओं की सूचना मिली है।

vi. पीएमएवाई-जी के तहत आवास आवंटित किए गए 831 अपात्र लाभार्थियों की सूची साझा की गई थी।

एक अन्य शिकायत में, यह आरोप लगाया गया कि पीएमएवाई-जी आवासों पर बिजू पक्का घर योजना (बीपीजीवाई) का 'लोगो' लगाया जा रहा है और बीपीजीवाई 'लोगो' का आकार पीएमएवाई-जी के 'लोगो' के आकार से बड़ा है। यह भी आरोप लगाया गया था कि पीएमएवाई-जी के तहत निर्मित आवासों को बीपीजीवाई के तहत निर्मित आवास दर्शाया जा रहा है।

(ख): इस शिकायत को जांच करने और स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए ओडिशा राज्य सरकार को भेज दिया गया था। ओडिशा राज्य सरकार ने निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की है:

i. यह कि फनी प्रभावित जिलों में कथित 775 अपात्र लाभार्थी, जिन्हें आवास+ में पात्र चिह्नित किया गया था, उनमें से 79 पात्र लाभार्थियों के संबंध में पंजीकरण, जियो टैगिंग और आधार से जोड़ने का कार्य पूरा कर लिया गया है। सूची में से शेष 696 पात्र नहीं पाए गए, अत: उनका नाम आवास+ में पंजीकृत नहीं किया गया था।

ii. यह कि कथित रूप से नियमों के विरूद्ध चयन किए गए 56 पीएमएवाई-जी लाभार्थियों की सूची में से 39 को आवास स्वीकृत कर दिए गए हैं। चार मामलों में चयन संबंधी अनियमितताएं पाई गई जिसके लिए कलेक्टर, खुर्दा ने रबिन्द्र कुमार पांडा, पीईओ, बेगुनिया ब्लॉक को निलंबित कर दिया है और नियमों के विरूद्ध चयन में लिप्त होने के कारण तीन ग्रामीणों के विरूद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। भुगतान की गई राशि की वसूली की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

iii. पीएमएवाई-जी के तहत बजटीय प्रावधान न करने के आरोप के संबंध में राज्य के तदनुरूपी अंश की निकासी करने का कोई मामला लंबित नहीं है और राज्य ने सदैव पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए हैं।

iv. कथित रूप से केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) का राज्य द्वारा नाम बदलने के प्रयास के संबंध में यह जानकारी दी गई थीं कि ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने पीएमएवाई-जी आवासों पर पीएमएवाई-जी और बीपीजीवाई दोनों के 'लोगो' को लगाकर सामूहिक-ब्रांडिंग करने का निर्णय लिया था क्योंकि पीएमएवाई-जी के तहत राज्य भी तदनुरूपी राज्य अंश का 40 प्रतिशत निवेश करता है।

(ग) और (घ): इस मंत्रालय ने एक केंद्रीय दल का गठन भी किया है और जिसने जांच करने के लिए 9-11 फरवरी, 2021 के दौरान राज्य का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष पीएमएवाई-जी का 'लोगो' न लगाया जाना, निर्माण की खराब गुणवत्ता, पीएमएवाई-जी योजना के एमआईएस में अधूरे आवासों को पूर्ण दर्शाया जाना, अपात्र लाभार्थियों को आवास स्वीकृत किया जाना, आदि हैं।

केंद्रीय दल की रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर मंत्रालय ने ओडिशा राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि इस धांधली के दोषी और उनके सहयोगियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और की गई कार्रवाई रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की जाए।

i. चूककर्ता अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाए।

ii. प्रखंड विकास अधिकारी, एफटीओ पर हस्ताक्षर करने वाले दूसरे अधिकारी और अन्य पर्यवेक्षकों जिन्होंने कार्य का निरीक्षण किया और प्रमाणित किया, उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाए।

iii. चूककर्ता अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध समय पर कठोर कार्रवाई न करने के लिए संबंधित जिला अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया जाए।

iv. राज्य सरकार इस मामले में की गई कार्रवाई का सोशल मीडिया सहित व्यापक प्रचार करें।

v. राज्य सरकार अपने प्रशासनिक तंत्र को दुरुस्त करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

ओडिशा सरकार ने केंद्रीय दल की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट दिनांक 20.07.2021 के पत्र के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रस्तुत की है। राज्य की कृत कार्रवाई रिपोर्ट की जांच की जा रही है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

*****